न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/25/2018

उनवान

1. श्रीमती रुकमा पत्नी जियानाथ योगी निवासी गागेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती गंगा पत्नी सुखानाथ जोगी निवासी गागेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती विमला पत्नी बलदेव नाथ निवासी गागेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती भॅवर पत्नी बेवा जियानाथ जोगी निवासी गागेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा
5. पटवारी, पटवार हल्का, गागेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 20/2017 निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.11.2017

अधिवक्तागण :-

1. श्री रणवीर सिंह राणावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रामदयाल जाट ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री छोटू लाल माली, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,2

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गागेडा पटवार हल्का गागेडा तहसील हुरडा के खाता संख्या 591 की आराजी नम्बर 447, 1526, 1527, 1531, 1532/2, 2012/2 कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में सावर लाल नाबालिग पिता जीयानाथ जरिये संरक्षक माता रूकमा देवी, श्रीमती भॅवरी देवी, रूकमा देवी के नाम दर्ज चली आ रही है तथा उक्त आराजियात के अलावा आराजी नम्बर 1700, 1701, 1530, 1533, 1534, 1532/1, 2012/1 कुल किता 7 रकबा 13 बीघा जो कि प्रतिवादी संख्या 2व 3 के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही हैं। वादिया के जियानाथ के नुत्फे से एक पुत्र सांवरनाथ पैदा हुआ जो करीब 2 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। वादिया सांवरनाथ की प्रथम श्रेी की विधिक उत्तराधिकारिणी है।

2. वादिया के जीवनकाल में जियानाथ के वादिया व वादिया के पुत्र के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। फिर भी हल्का पटवारी व प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 से मिलाभगती कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रतिवादी संख्या 1 को वादिया के पति की पत्नि बताते हुए उक्त आराजियात में विरासत से इन्तकाल 1/3 अपने नाम करवा कर दिनांक 10.1.2017 को खाता संख्या 591 की आराजी नम्बर 447, 1526, 1527, 1531, 1532/2, 2012/2 कुल किता 6 बीघा 13 बिस्वा 05 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 832 में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया गया है। वादिया उक्त आराजियात पर काश्त करने लगी तो प्रतिवादी संख्या 2 ने वादिया को काश्त नहीं करने दी व धमकी दी कि जायन्दा इन खेतों में पांव मत रखना यह मैने खरीद ली है। जिस पर वादिया ने पटवारी हल्का से रेकार्ड लेने का प्रयास किया तो लगभग 3 माह तक प्रतिवादी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

संख्या 5 टालमटोल कर बहाने बनाता रहा । जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख 5 को निर्देशित करने पर दिनांक 4.2.2017 को वादिया को राजस्व रेकार्ड की नकले दी गई। वादिया द्वारा सांवर लाल के नाम से आराजियात में वादिया का नाम इन्तकाल खुलवाने बाबत दस्तावेज दिये पर आज दिन तक इन्तकाल नही खोला गया । जबकि खाता संख्या 591 की आराजी संख्या 447, 1526, 1527, 1531, 143222, 2012/2 कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 04 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा के राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्द्राज को वादिया हटवाकर स्वयं का नाम दर्ज कराने की अधिकारी है।

3. अतः वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावे कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम गागेडा स्थित आराजी बेचान दिनांक 11.1.2017 की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान की गई आराजियात किसी अन्य के नाम इन्द्राज नहीं की जावे एवं न ही उक्त आराजियात से वादिया को बेदखल नहीं किया जावे तथा वादिया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न किसी अन्य से करावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के पुत्र का देहावसान हो जाने से जलील व परेशान कर दिया व भूमि निजाई को भॅवरी के षड्यंत्र रच अपने नाम कराने की धमकी दी । जिससे अधीनस्थ न्यायालय में में अपीलार्थी/वादिया ने दिनांक 7.2.2017 को स्थाई निषेधाज्ञा वहूक जायदाद घोषणा एवं दुरूस्ती माली कागजात का वाद पत्र प्रस्तुत किया था । प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया गया था। उसके उपरान्त मामला प्रतिवादी के जवाब में लंबित चल रहा था। इसी दौरान बिना किसी प्रक्रिया के द्वेषतावश व प्रभाव में आकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । प्रकरण न्याय का मोहताज रहा है । कानून की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो निरस्त योग्य है ।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया एवं न ही अपीलार्थीया/वादिया के बयान गवाह सबूत रेकार्ड पर लिये व न कोई विधिक जांच की एवं वास्तविक रेकार्ड से परे मनमकसूद तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गम्भीर त्रुटि की है। सावंरा का आधार कार्ड व पहचान पत्र संलग्नहै जिससे भी स्पष्ट है कि सांवरा नाबालिग नहीं था जिससे राजस्व रेकार्ड काबिल दुरूस्ती के योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद के विचारण के दौरान

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब नहीं लिया गया एवं न ही वादिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया इस प्रकार रेस्पोडेण्ट भॅवरी को कोई मुन्तकिली का अधिकार नही होते हुए भी उसका आलम्बन लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की है जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि से भॅवरी देवी का विगत 30 वर्षो से भी अधिक समय से कोई वास्ता नहीं रहा है न पारीवारिक परिवेश में वह परिवार का हिस्सा रही है । वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा भी नहीं रहा है । विपक्षीगण/रेस्पोडेण्ट ने मिलकर कपटपूर्ण तरीके से भूमि हडपने की साजिश रची जिससे रेस्पोडेण्ट का कृत्य प्रारंभ से ही अपीलाण्ट के हक हकूत तक प्रभाव शून्य होकर विधि के विरूद्ध है । उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया/वादिया का वाद पत्र खारिज किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने तथा वादिया के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्तागण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया/वादिया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ......।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

12. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 7.2.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने के साथ ही आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.3. 2017 नियत की गई। आगामल तारीख पेशी दिनांक 1.3. 2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पॉवर प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 अनुपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 4 स्वयं उपस्थित होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 अनुपस्थित होने के साथ ही जवाब का अवसर देते हुए वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 तथा प्रतिवादी संख्या 3 के सम्मन पुनः पेश करने का अंकन करते हुए प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.4.2017 नियत कीगई। नियत दिनांक 11.4.2017 को प्रतिवादी की ओर से जवाब का अवसर चाहा गया। प्रतिवादी संख्या 3 के सम्मन पुनः पेश करने की हिदायत के साथ ही आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.5.2017 नियत की गई। दिनांक 23.5.2017 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.8.2017 नियत की गई।

13. नियत तारीख पेशी दिनांक 1.8.2017 से पूर्व ही प्रकरण को लोक अदालत कैम्प कोर्ट गागेडा पर रखा गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष की लोक अदालत कैम्प में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने बाबत सूचना पत्र द्वारा उभयपक्ष को सूचित कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना पत्र उभयपक्ष को नहीं भिजवाया गया है। उसके बावजूद प्रकरण को लोक अदालत कैम्प गागेडा पर रखा गया । लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण माहोल मे आपसी समझौता हो रहा हो। अपीलाधीन प्रकरण में

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पक्षकारान द्वारा कोई समझौत पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादीगण के जवाब में प्रकरण लंबित था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रतिवादीगण का जवाब दावा लेकर उसके उपरान्त तनकियात कायम की जानी चाहिये थी तथा उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर प्रकरण का निस्तारण किया है जबकि उभयपक्ष के हक हितों का बाद साक्ष्य सुनवाई मूल वाद में अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाना होता है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया का पालन नहीं कर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. आदेशिका के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल वाद का निस्तारण किया गया है जबकि आदेशिका में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का निस्तारण किये जाने का अंकन किया गया है। ऑपरेटिव पार्ट में भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने का अंकन किया गया है। उसके उपरान्त दिनांक 28.11.2017 को आदेशिका में अंकन किया गया है कि " पत्रावली पेश हुई न्यायालय के यह ध्यान में आया है कि प्रकरण अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत है। जिसमें डिकी पर्चा मूर्तिब नहीं हुआ है अतः न्यायालय प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.6.2017 के अनुरूप डिकी पर्चा मूर्तिब किये जाने के आदेश दिये जताते है।"यद्यपि प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विषयवस्तु प्रार्थना पत्र की नहीं होकर वाद पत्र की

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,

अंकित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण के निस्तारण से पूर्व प्रकरण का एवं साक्ष्य का अवलोकन कर प्रकरण किन धाराओं में विचारधीन है एवं निस्तारण किन धाराओं में किया जा रहा है इसका पूर्णतया ध्यान रखे।

16. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह पूर्ण विधिक प्रकिया का पालन नहीं कर पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. अतः अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.6.2017 एवं डिक्री दिनांक 28.11.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब दावा लिया जाकर तनकियात कायम की जावे एवं उसके उपरान्त उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान दिया जाकर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.1.2020 को उपस्थित रहे।

18. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा